



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 1 मार्च, 2023

फाल्गुन 10, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-2

संख्या 1 / 2023 / 147 / तीस-2-2023-60एन / 73

लखनऊ, 1 मार्च, 2023

अधिसूचना

प0आ0-72

चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदया इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में, जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या 5447/30-2-60एन/73 दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, हड़ताल निषिद्ध करती हैं।

2-उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदया यह भी आदेश देती हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/2023/147/XXX-2-2023-60N/73, dated March 1, 2023 :

No. 1/2023/147/XXX-2-2023-60N/73

Dated Lucknow, March 1, 2023

WHEREAS, the state Government is satisfied that in public interest it is necessary and expedient so to do.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power under sub- section (I) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P.Act No-XXX of 1966), the Governor is pleased to order that during a period of six months from the date of publication of the order strikes are prohibited in the services under the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Which have been declared as essential services for the purpose of said Act by Government notification no. 5447/XXX-2-60N/73, dated October 31, 1983.

2- Under sub-section (2) of the said section, the Governor is further pleased to direct that this order shall be published in the *Gazette*.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.